राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(3)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 2.7.19

::आज्ञा::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 को आयोजित की गई। श्री नरेन्द्र श्याम नवल, सहायक विधि परामर्शी (क्रम संख्या 15) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु अभिशंसा को बन्द लिफाफे में रखा गया। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश क्रमांक प.1(250)कार्मिक/क–3/जांच/2015 दिनांक 18.06.2019 से इस जांच में अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने का आदेश जारी किया है।

श्री नरेन्द्र श्याम नवल, सहायक विधि परामर्शी के विरूद्ध उक्त विचाराधीन जांच में दोषमुक्त होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के बन्द लिफाफे को खोला गया तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री नवल को वर्ष 2017–18 में दिनांक 01.04.2017 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर उप विधि परामर्शी के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री नवल की वरिष्ठता श्री सतीश चन्द मेघवाल (अजा) के नीचे रहेगी।

श्री नरेन्द्र श्याम नवल का उप विधि परामर्शी के पद पर वेतनमान PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) में दिनांक 01.04.2017 की रिक्तियों के विरूद्ध वेतन निर्धारण नोशनल आधार पर तथा कार्यग्रहण की दिनांक से नकद लाभ देय होगा।

श्री नरेन्द्र श्याम नवल, सहायक विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, पाली का पदोन्नति पर उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, पाली के पद पर यथावत पदस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. श्री नरेन्द्र श्याम नवल, उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलक्टर, पाली को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में पालना सुनिश्चित करें।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

2-7-19

संयुक्त शासन सचिव